<u>कोर्ट केस/सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

<u>संख्या-79/2015/1090 /एक-6-2015-98(9)/2015</u>

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 05 अक्टूबर, 2015**

विषय: रिट याचिका संख्या-6/2011 बलवान सिंह यादव बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-03-2015 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित किये जाने और रिट याचिका में पारित अन्तिम आदेश के अधीन अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-5/6 नजारत-982 ई/89 टी0सी0 दिनांक 18-05-2015 एवं पत्र संख्या-जी-17/6-नजारत-982 ई/89 टी0सी0, दिनांक 02-09-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 02-09-2015 के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री एम0यू0 सिद्दीकी, स्थायी अधिवक्ता/ राज्य विधि अधिकारी, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च लखनऊ द्वारा दी गई यह राय उपलब्ध करायी गयी है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-03-2015 से विधि के किसी स्थापित सिद्धान्त का उलंघन प्रतीत नहीं हो रहा है। मा0 अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित किया जाना लाभकारी नहीं होगी। याची के विरूद्ध पारित दण्ड छोटा है। अत: परिणामस्वरूप आगे वाद/रिट याचिका होने से विभाग के कर्मचारी का उत्पीड़न होगा।

3- उल्लेखनीय है कि न्याय विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग के रिस्क पर शासनादेश संख्या-यू0 ओ0-5446/सात- न्याय-6-15/एलसी-433/एक-6-2015 दिनांक 28-09-2015

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा प्रश्नगत मामले में रिट याचिका दायर करने का आदेश निर्गत किये गये हैं। (मूल प्रति संलग्न)

4- राज्य विधि अधिकारी की राय और न्याय विभाग की राय में उल्लिखित रिस्क के दृष्टिगत कृपया निर्देश याचिका संख्या-6/2011 बलवान सिंह यादव, चेनमैन बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-03-2015 का रिट याचिका में पारित अन्तिम आदेशों के अधीन तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही से शासन को अवगत कराये। इसके साथ-साथ कृपया न्याय विभाग द्वारा निर्गत संलग्न आदेश के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय में यथाशीघ्र रिट याचिका दायर करें और रिट याचिका की सतत रूप से प्रभावी पैरवी कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जय प्रकश सगर)
विशेष सचिव।

संख्या-1090 (1)/एक-6-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च लखनऊ।

2- अपर विधि परामर्शी (विधि कोष्ठक) मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(जय प्रकश सगर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in